नवीन निस्तार नीति

वर्तमान निस्तार नीति निम्नानुसार है -

राज्य शासन द्वारा पूर्व में जो सुविधाए दी जा रही थी , उन सुविधाओ में संशोधन किया गया है । अतः अब ये सुविधाए निम्नानुसार है -

1. राज्य में प्रचलित निस्तार व्यवस्था को समाप्त करते हुए ,(बस्तर जिले एवं बसोड़ों के लिए प्रचलित प्रावधानों को छोड़कर) शेष क्षेत्र के लिए निम्नानुसार निस्तार नीति निर्धारित की जाती है -

क. निस्तार के अंतर्गत सुविधा की पात्रता केवल उन ग्रामों के ग्रामीणों के लिए पूर्वानुसार रहेगी जो कि वनों की सीमा से 5 कि. मी. की परिधि के अंतर्गत स्थित है । पांच कि. मी. की परिधि की गणना में यदि किसी ग्राम का आंशिक भाग भी आता है तो वह पूर्ण ग्राम परिधि के भीतर जायेगा। ऐसे ग्रामों को वन विभाग अधिसूचित करेगा।

ख. नगर निगम पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा से 5 कि. मी. की परिधि में या उनके बाहर स्थित हो, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेंगे।

ग. पांच कि. मी. की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अंतर्गत कोई रियायत प्राप्त नही होगी,परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी

घ. वनों से स्वयं के उपयोग के लिए अथवा बिक्री के लिए सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी पड़ी, मरी सूखी जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत रहेगी।

2. पांच कि. मी. की परिधि में आने वाले ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय संयुक्त वन प्रबंधन के लिए गठित ग्राम वन समिति एवं वन सुरक्षा समिति के माध्यम से किया जावेगा।

3. जिन पाँच कि. मी. तक के ग्रामों में संयुक्त वन प्रबंध समिति गठित नहीं हुई है, वहां ऐसी समिति गठित होने तक उपलब्धता के आधार पर स्थापित विभागीय निस्तार डिपों से वनोंपज का प्रदाय किया जावेगा । इस प्रकार के निस्तार डिपो की स्थापना ऐसे ग्रामों के समूह के लिये एकजाई रूप से की जावेगी।

4. वनों से पांच कि.मी. से अधिक दूरी वाले ग्रामों के लिये संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्ताव पारित कर वनोपज की मांग की जाती है तो उपलब्धता के आधार पर उन्हें ऐसे वनोपज निर्धारित मूल्य पर जिसमें पूर्ण रायल्टी, विदोहन, परिवहन एवं अन्य वास्तविक व्यय का समावेश रहेगा, प्रदाय की जावेगी तथा इसके लिये वनोपज का मूल्य अग्रिम रूप से पटाना होगा।

5. उपरोक्तानुसार वनोपज प्रदाय करने के पूर्व वनमंडलाधिकारी ग्राम पंचायतों को वनोपज की श्रेणीवार दरों की जानकारी देगें । ग्रामीणों को वनोपज वितरण एवं डिपो प्रबंध का दायित्व ग्राम पंचायत का रहेगा। सामग्री वितरण करने हेतु ग्राम पंचायत अतिरिक्त वितरण व्यय एवं युक्ति युक्त लाभ को ध्यान में रखते हुए दर निर्धारण कर सकेगी।

6. वनविभाग द्वारा निस्तारी वनोपज का प्रदाय1जनवरी से 30 जून तक प्रति वर्ष किया जावेगा।

7. बस्तर जिले में तथा राज्य में बसोड़ो के लिये पूर्व निस्तार व्यवस्था यथावत प्रचलित रहेंगी।

8. यह नई व्यवस्था दिनांक 1-7-96 से प्रभावशाली होगी।

9. मुर्दो को जलाने की व्यवस्था -

मुर्दो को जलाने के लिए जलाऊ लकड़ी उपभोक्ता दर पर वेंडर्स को उपलब्ध कराने की पूर्व व्यवस्था यथावत चालू रहेगी।